U. P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
PRAYAGRAJ - 211021

Sector-F, Shantipuram, Phaphamau
Prayagraj-211021
Toll-free : 1800-120-111-333
www.uprtou.ac.in

UPRTOU CIQA

Guidelines for Establishment of New Learner Support Centres (Study Centres)

शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों (नवीन अध्ययन केन्द्रों) की स्थापना के लिए दिशा निर्देश

UPRTOU

CENTRE FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE

U. P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
PRAYAGRAJ - 211021

Guidelines for Establishment of New Learner Support Centres (Study Centres)

शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों (नवीन अध्ययन केन्द्रों) की स्थापना के लिए दिशा निर्देश

CENTRE

FOR

INTERNAL QUALITY ASSURANCE

UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY

PRAYAGRAJ - 211021

Prof. Seema Singh
Vice Chancellor

U. P. Rajarshi Tandon Open University
Prayagraj

Vice Chancellor

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित रूप में 1999 के उ.प्र. अधिनियम संख्या 10 द्वारा की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस विश्वविद्यालय का नाम भारतरत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर रखा गया था।

इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य है। विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना और दूरस्थ माध्यम से प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में उच्च मानकों को बनाए रखना था। विश्वविद्यालय ने मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अपने लिए एक स्थान बनाया है। यह विश्वविद्यालय दूरस्थ और दीर्घकालिक शिक्षा के विविध साधनों के माध्यम से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करता है और मौजूदा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से कार्य करता है और इन संगठनों के बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग करता है।

विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य ''दूर दराज तक पहुंचना'' है। विश्वविद्यालय 12 क्षेत्रीय केन्द्रों (प्रयागराज, कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ, नोएडा, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, आजमगढ़ और लखनऊ) और पूरे उत्तर प्रदेश में फैले लगभग 1200 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से अपनी सेवाएँ दे रहा है। उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सहित कई तरह के कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान दिशा-निर्देशों को आधुनिक दूरस्थ शिक्षा दर्शन के दूरदर्शी ढाँचे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में एक मील का पत्थर साबित होगा।

सभी को मेरी शुभकामनाएँ और बधाई।

(प्रो0 सीमा सिंह)
कुलपति

1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश विधानसभा में अधिनियम संख्या 10 के अधिनियम के साथ, उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष 1999 में अस्तित्व में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आबादी के एक बड़े हिस्से में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देना था।

उपरोक्त अधिनियम के अध्याय–II, खण्ड ix और x के अनुसार, विश्वविद्यालय के पास ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने और बनाए रखने की शक्तियाँ होंगी (i) जो विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी; और (ii) निर्धारित तरीके से अध्ययन केन्द्रों की स्थापना या रखरखाव के दिशा निर्देश बनाएगी। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने बारह क्षेत्रीय केन्द्र, 1170 अध्ययन केन्द्र, बी.एड. के लिए 10 अध्ययन केन्द्र, बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के लिए 07 अध्ययन केन्द्र एवं 13 जेलों में अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं।

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र का अभिप्राय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सलाह, परामर्श, शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के बीच इंटरफेस प्रदान करने, अकादमिक और अन्य कोई संबंधित सेवाएँ और सहायता प्रदान करने, मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन के शिक्षार्थियों द्वारा आवश्यक अंतर की आवश्यकता का ध्यान रखने से है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनिमय, 2020 (अनुलग्नक – VIII) में, यह उल्लेख किया गया है कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति में कार्यक्रम की पेशकश करने वाला उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अध्ययन केन्द्र या शिक्षार्थी सहायता केन्द्र किसी मान्यता प्रापत विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त) से सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्थान में ही हो या सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थान जो संगत संकाय जैसे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी या वाणिप्त या प्रबंधन के अधीन समान व्यापक क्षेत्रों में समान स्तर के पारंपरिक पद्धति कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा हो और सभी आवश्यक अवसंरचना और सिद्धांत संपर्क सत्रों में लगाने और प्रयोगशाला या क्षेत्र में व्यावहारिक सत्रों का पर्यवेक्षण करने के लिए समान कार्यक्रम की पेशकश करने वाले मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों या संस्थानों के पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त संकाय जो अर्हता प्राप्त सहायक आचार्यों के रैंक से निम्न नहीं हो।

2. शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में अकादमिक परार्शदाता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए।
2. दूरस्थ शिक्षार्थियों की विशेषताओं, उनकी आवश्यकताओं और पारंपरिक आमने–सामने की शिक्षा के अंतर के बारे में मूल शोध से सुपरिचित हो।
3. अनुदेशात्मक डिजाइन के मूल सिद्धान्तों का अनुप्रयोग।
4. उसे विषय से संबंधित गहन ज्ञान और पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों से संबंधित गलतफहमियों को जानकारी हो।
5. ऑनलाइन और मिश्रित ज्ञान अर्जन पद्धति में शिक्षार्थी–केन्द्रित पर्यावरण की आवश्यकता की गहरी समझ हो।
6. रचनात्मक ज्ञान अर्जन के वातावरण को डिजाइन करने की क्षमता होनी चाहिए।
7. ज्ञान अर्जन के सिद्धान्त, स्वतः निर्देशित अनुदेश और कंप्यूटर संचार और ज्ञान अर्जन का प्रयोगात्मक अनुप्रयोग।
8. शिक्षार्थियों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता होनी चाहिए।
9. प्रतिपादन मीडिया की क्षमताओं और सीमाओं के साथ अनुकूलन क्षमता और लचीलापन हो।
10. मूल समस्या का निवारण करने के लिए प्रतिपादित माध्यम से परिचित हो।
11. मल्टी टास्क की क्षमता होना चाहिए।
12. समय प्रबंधन (उदाहरण के लिए, समय पर शिक्षार्थियों को उत्तर देना, व्यापक और अग्रिम तैयारी और योजना)।
13. व्यावसायिक विशेषताएं (जैसे – पढ़ाने के लिए प्रेरित, आत्मविश्वासी, मुखर, अच्छा लेखक)।

3. त्रि-स्तरीय प्रणाली (मुख्यालय-क्षेत्रीय केन्द्र-अध्ययन केन्द्र)

शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन (ओ.डी.एल.) पद्धति में तीन स्तर के कामकाज होते हैं जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों के मुख्य कार्यालय में स्थित होते हैं या निम्नलिखित भाग में परिभाषित किए अनुसार उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र में स्थापित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र हैं। प्रवेश, मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा आदि की प्रक्रियाओं का प्रबंधन उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मुख्यालयों की मुख्य जिम्मेदारी होगी और मुख्य परिसर से ही निर्वहन की जायेगी। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्रत्यक्ष प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र जो कार्यप्रणाली के

दूसरे स्तर पर हैं, मुख्यालय और शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों के मध्य एक गतिशील परिचानल लिंक का निष्पादन करते हैं, जो कि मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन प्रणाली का तीसरा स्तर है और शिक्षार्थियों द्वारा वहां तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण मुख्य संपर्क बिन्दु, उत्तरदायी और सुविधानजनक सूचना केन्द्र, असाइनमें के प्रसंस्करण आदि जैसे संपर्क सूत्रों और अन्य क्रियाकलाप हैं। शिक्षार्थी सहायता केन्द्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा सीधे सीापित और प्रबंधित किए जाएंगे और किसी भी फ्रेंचाईजी या आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से नहीं चलेगें।

इस संदर्भ में, उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इन केन्द्रों के लिए आवश्यक शिक्षार्थी सहायता सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की स्थापना के लिये दिशा–निर्देश बनाए गए है।

4. अध्ययन केन्द्र/सम्पर्क केन्द्र की कार्यप्रणाली

प्रत्येक अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र पर एक केन्द्र समन्वयक होता है, जो उस केन्द्र के प्राचार्य के नियंत्रण में केन्द्र का संचालन करता है तथा पठन–पाठन, विचार–विनिमय, पुस्तकालय, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार करता है। समन्वयक द्वारा ही शिक्षार्थी को सूचना, मार्गदर्शन तथा अध्ययन से सम्बन्धित अन्य जानकारी समय–समय पर उपलब्ध कराई जाती है। समन्वयक द्वारा ही परामर्श सत्र एवं अन्य शैक्षिक क्रिया–कलापों की समय–सारणी घोषित की जाती है। प्रवेश के उपरान्त छात्रों को किसी भी सूचना के लिए अपने केन्द्र समवयक से सम्पर्क करना चाहिए। प्रदेश के प्रत्येक अध्ययन केन्द्र/सम्पर्क केन्द्र पर पठन–पाठन एवं शिक्षार्थी–परामर्शदाता सम्पर्क की ऐसी व्यवस्था की गयी है, जिससे सरकारी एवं गैरसरकारी पेशा वाले एवं अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति बिना किसी अवरोध के केन्द्र द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार परामर्श–सत्र/सम्पर्क–सत्र के माध्यम से पठन–पाठन कर सकें। परामर्श/सम्पर्क कार्यक्रम के सत्रों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुभवी एवं योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। सामान्यतः शिक्षार्थी की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए परामर्श सत्रों का आयोजन अवकाश के दिनों में ही कराया जाता है।

5. नये अध्ययन केन्द्र खोलने की प्रक्रिया

(अ) आवेदन आमन्त्रित करना

(i) विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट (www.uprtou.ac.in) पर नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिये अर्धसूचना निर्गत करना।

(ii) इच्छुक अर्ह संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना।

ऑनलाइन फॉर्म की हार्डकापी नीचे दिये गये पते पर प्रेषित की जायेगी :

प्रभारी,
अध्ययन केन्द्र प्रकोष्ठ
सरस्वती परिसर, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज-211021

(iii) आवेदन पत्र के साथ ही निर्धारित आवेदन पत्र की फीस व अन्य फीस भी जमा की जायेगी।

(ब) निरीक्षण एवं जाँच

(I) आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद आवश्यकतानुसार प्रकरणों को निरीक्षण (Inspection) के लिये सूचीबद्ध किया जा सकता है।

(ii) अध्ययन केन्द्र आवेदन पत्रों की जाँच (Screening) अध्ययन केन्द्र प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी। इस जाँच में निरीक्षण समिति भी आख्या (यदि है), प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध समग्र आधारभूत संरचना, परामर्शदाताओं की उपलब्धता, आई.सी.टी. सुविधाएँ, कम्प्यूटर लैब की सुविधा आदि का परीक्षण किया जाता है।

(स) अनुमोदन

(I) अध्ययन केन्द्र प्रकोष्ठ की परीक्षण आख्या को मान्यता बोर्ड द्वारा जाँचा जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता बोर्ड सक्षम प्राधिकारी के लिये अपनी संस्तुति करेगा।

(ii) इसके उपरान्त मान्यता बोर्ड की सिफारिशों को विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु अपना अनुमोदन दिया जा सकता है।

6. अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु आवेदन एवं मानक /मापदण्ड (01 जुलाई 2021 से प्रभावी) (Except B.Ed. and B.Ed.SE Programs)

1. विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र/शिक्षार्थी सहायता केन्द्र किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यलाय में ही स्थापित किये जायेंगे। अतः आवेदक संस्था अपने आवेदन–पत्र में संस्था के प्रकार एवं सम्बद्धतादायी विश्वविद्यालय का स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे।
2. आवेदन–पत्र पर विचार करते समय अपेक्षित कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं यथा भवन, कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विषयवार अर्ह परामर्शदाताओं/शिक्षकों की सुलभ उपलब्धता ऑनलाइन कनेक्टिविटी तथा आई.सी.टी. सुविधा एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। साथ ही संस्था प्रथम वर्ष में न्यूनतम 15 शिक्षार्थी नामांकित करने के लिए वचनबद्ध होंगी।
3- B.Ed. एवं B.Ed. (Special Education) कार्यक्रमों हेतु मानकों का निर्धारण NCTE/RCI के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
4. मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था के पुस्तकालय, प्रयोगशाला व अन्य सुविधाओं के प्रयोग करने की अनुमति होगी जिसके लिए शिक्षार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थान/विशेष श्रेणी के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 जनवरी से 28/29 फरवरी तक एवं 01 जुलाई से 31 अगस्त तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेगें। उक्त अवधि के अतिरिक्त नवीन अध्ययन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी आवेदनों का विश्वविद्यालय द्वारा संज्ञान नहीं किया जायेगा। इच्छुक संस्थाओं को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त वांछित संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय को पंजीकृत डाक से अथवा प्रत्यक्ष रूप से निम्न पते पर प्रेषित करना होगा :–

पता : **प्रभारी,**
अध्ययन केन्द्र प्रकोष्ठ, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
सरस्वती परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज-211021

6. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का आवेदन करने वाली संस्थाओं को निम्न विवरणानुसार आवेदन शुल्क ऑन लाइन जमा करना होगा, जो किसी भी दशा में वापस नही होगा :–
   (I) राजकीय अथवा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाएं, राज्य विश्वविद्यालयनिः शुल्क
   (ii) उपरोक्त बिन्दु (i) में वार्णित उच्च शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी रू. 5,000.00
   (iii) उपरोक्त बिन्दु (ii) के अन्तर्गत किसी संस्था के स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता पर निरीक्षण शुल्क रू. 15,000/– सम्बन्धित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में अग्रिम जमा करना होगा।
7. क्रमांक 5 के (ii) पर अंकित शिक्षा संस्थाओं से रु. 25,000/– की वापसी योग्य (Refundable) जमानत राशि अध्ययन केन्द्र के अनुमोदन होने के बाद जमा कराई जाये। विश्वविद्यालय को देय आवेदन शुल्क ऑन लाइन तथा अन्य समस्त धनराशियाँ ''वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज'' के नाम से प्रयागराज में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाय।
8. विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदक महाविद्यालय/संस्था में मूलभूत सुविधाओं में न्यूनतम 500 वर्ग फिट का Covered Area वाला कार्यालय, कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय व प्रयोगशाला, आई.सी.टी. सुविधा सहित ऑनलाइन कनेक्टिविटी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उक्त के साथ–साथ यू.जी.सी. (ओ.डी.एल.) के मानकानुसार निम्नलिखित का होना अनिवार्य है :
   (I) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों हेतु अर्ह परामर्शदाताओं एवं शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात 1:100 होगा।

(ii) प्रयोगिक पाठ्यक्रमों हेतु हर दो क्रेडिट पर यह अनुपात 2 क्रेडिट : 1 या अधिक होगा।

(iii) प्रयोगशाला आधारित कार्यक्रम की अनुमन्यता हेतु शिक्षण संस्था में इस प्रकार के कार्यक्रम चलने का अनुभव 3 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए।

नोट : अर्ह परामर्शदाता का तात्पर्य यू.जी.सी./सम्बन्धित नियामक संस्थाओं द्वारा शिक्षकों हेतु निर्धारित योग्यता से है।

9. विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु आनलाइन आवेदन करेंगे। अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क प्रति आवेदन रु. 3,000/– (राजकीय अथवा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर) आनलाइन जमा करना होगा। उक्त आवेदन की हार्ड कापी के साथ मूल विश्वविद्यालय से प्राप्त मान्यता प्रपत्र एवं अध्यापक सूची अध्ययन केन्द्र प्रकोष्ठ को भेजनी होगी।

10. पूर्व में स्थापित अध्ययन केन्द्रों या नये अध्ययन केन्द्रों को निम्नानुसार शर्त पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों के

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
	परास्नातक कार्यक्रम	
1.	**(i) Master of Art (MA).** (Hindi, English, Sanskrit, Urdu, History, Geography, Sociology, Political Science, Education, Economics, Philosophy, Statistics, Home Science, Yoga).	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
	(ii) Master of Science (M.Sc.). (Statistics, Biochemistry, Food & Nutrition).	
	(iii) Master of Commerce. (M.Com).	
	(iv) Master of Social Work (MSW).	
2.	Master of Library and Information Science (MLIS).	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर की शासन द्वारा मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BLIS या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा (iii) MLIS उपाधित धारक न्यूनतम तीन अर्ह Guest Faculty. (iv) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच–पाँच प्रतियां अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
3.	Master of Journalism & Mass Communication (MJMC).	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी,अंग्रेजी, उर्दू, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञानआदि) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा

		न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव
4.	Master of Business Administration (MBA).	वाणिज्य या प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यून्तम 3 वर्ष तक वाणिज्य या प्रबन्धन के स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
5.	Master of Computer Applications (MCA).	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty.
	स्नातक कार्यक्रम	
6.	**(i) Bachelor of Art (BA).** (Hindi, English, Sanskrit, Urdu, History, Geography, Sociology, Political Science, Public Administration, Education, Economics, Philosophy, Mathematics, Fashion Designing, Textile Designing , Yoga). **(ii) Bachelor of Commerce (B.Com).** **(iii) Bachelor of Science (B.Sc.).** (Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Statistics, Biochemistry, Computer Science). **(v) Bachelor of Science (B.Sc.).** (Human Nutrition).	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
7.	BA(TOURISM).	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान।
8.	Bachelor of Library and Information Science (BLIS).	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
		(ii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा। (iii) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच–पाँच प्रतियां अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
9.	Bachelor of Business Administration (BBA).	वणिज्य अथवा प्रबन्धन में भाासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
10.	Bachelor of Computer Application (BCA).	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty. (v) 10+2 अर्हता स्तर के डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।
11.	B.Ed.	NCTE के मानकानुसार।
12.	B.Ed.(Special Education).	RCI के मानकानुसार।

परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
किसी संस्था को P.G. Diploma कार्यक्रम (क्रम संख्या 13 से 26 तक) के संचालन के लिए मान्यता देने हेतु वहाँ सम्बन्धित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम संचालन का अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।		
13.	Post Graduate Diploma in Educational Administration (PGDEA). Post Graduate Diploma in Vocational Guidance and Career Counseling (PGDVGCC).	शिक्षाशास्त्र।
14.	Post Graduate Diploma in Distance Education (PGDDE). Post Graduate Diploma in Biostatistics and Population Studies (PGDBSPS). Post Graduate Diploma in Biostatistics and Demography (PGDBSD). Post Graduate Diploma in Goods & Service Tax (PGDGST).	सभी विषय।
15.	Post Graduate Diploma in Environment and Sustainable Development (PGDESD). Post Graduate Diploma in Remote Sensing and GIS (PGDRS).	कृषि विज्ञान या भूगोल या विज्ञान
16.	Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA).	कम्प्यूटर विज्ञान।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
17.	Post Graduate Diploma in Human Resource Development (PGDHRD). Post Graduate Diploma in Financial Management (PGDFM). Post Graduate Diploma in Marketing Management (PGDMM). Post Graduate Diploma in International Marketing and E-Business (PGDIMB). Post Graduate Diploma in Production Management (PGDPM).	वाणिज्य या प्रबन्धन।
18.	Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication (PGDJMC). Post Graduate Diploma in Rural Journalism and Mass Communication (PGDRJMC).	पत्रकारिता या हिन्दी या अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू।
19.	Post Graduate Diploma in Electronic Media Management and Film Production (PGDEMM & FP).	पत्रकारिता।
20.	Post Graduate Diploma in Translation (PGDT).	हिन्दी या अंग्रेजी।
21.	Post Graduate Diploma in Functional Hindi (PGDFH). Post Graduate Diploma in Creative Writing in Hindi (PGDCWH).	हिन्दी।
22.	Post Graduate Diploma in Spiritual Tourism (PGDST).	ऐसे संस्था जहाँ स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर दर्शनशास्त्र, इतिहास, पर्यटन, संस्कृत एवं योग विषय की मान्यता प्राप्त हो।
23.	Post Graduate Diploma in Green Social Work (PGDGSW).	राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या समाज कार्य या भूगोल।
24.	Post Graduate Diploma in Dietetics and Therapeutic Nutrition (PGDDTN). Post Graduate Diploma in Food Safety and Nutritional Quality Management (PGDFSQM).	सम्बन्धित विषय/विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि विज्ञान वर्ग के विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर स्तर अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातक स्तर के कार्यक्रम चलाने का अनुभव। **अथवा** यू0पी0आर0टी0ओ0यू0 एवं इग्नू अथवा किसी अन्य मुक्त विश्वविद्यालय से डी0सी0डी0एन0, डी0एच0ई0एन0 अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
25.	Post Graduate Diploma in Agricultural Extension (PGDAE).	मान्यता प्राप्त कृषि महाविद्यालय, कृषि उच्च अध्ययन एवं शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र।
26.	Post Graduate Diploma in Yoga (PGDYO).	ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ योग में प्रमाण–पत्र संचालन की मान्यता हो।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
		अथवा ऐसे संस्थान जहाँ Physical Education कार्यक्रम की मान्यता हो। **अथवा** ऐसे संस्थान/अध्ययन केन्द्र जहाँ योग पढ़ाने वाले अर्ह प्राध्यापकों की उपलब्धता हो (संस्था से शपथ–पत्र के माध्यम से यह सूचना)।

डिप्लोमा कार्यक्रम

27.	Diploma in Yoga (DYO).	ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ योग में प्रमाण–पत्र संचालन की मान्यता हो। **अथवा** ऐसे संस्थान जहाँ Physical Education कार्यक्रम की मान्यता हो। **अथवा** ऐसे संस्थान/अध्ययन केन्द्र जहाँ योग पढ़ाने वाले अर्हप्र ाध्यापकों की उपलब्धता हो (संस्था से शपथ–पत्र के माध्यम से यह सूचना)।
28.	Diploma in Dairy Technology (DDT). Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables (DVAPFV). Diploma in Watershed Management (DWM). Diploma in Agriculture (DAG). Diploma in Agri Business Management (DABM).	कृषि अथवा जीव विज्ञान वर्गीय विषयों में मान्यता प्र ाप्त महाविद्यालय, कृ षि क्षेत्र के उच्च अध्ययन एवं ाोध संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र।
29.	Diploma in Rural Development (DRD. Diploma in Vidic Math's (DVM). Diploma in Goods & Service Tax (DGST).	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
30.	Diploma in Early Childhood-care and Education (DECE). Diploma Course in Dietetics and Nutrition (DCDN). Diploma in Health Education and Nutrition (DHEN).	यदि संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc. या Food & Nutrition या Para Medical) या B.Ed. या B.Ed.(SE) या BA(Education) की मान्यता हो।
31.	Diploma in Home Arts (DHA). Diploma in Fashion Designing (DFD). Diploma in Textile Designing (DTD). Diploma in Photography (DIP).	संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc.) या Vocational की मान्यता हो।
32.	Diploma in Urdu (DIU). Diploma in Urdu Journalism and Mass Communication (DUJMC). Diploma in Urdu News Reading and Anchoring (DUNRNA).	संस्था को BA (उर्दू) की मान्यता हो।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
33.	Diploma in Jewellery Designing (DJD). Diploma in Paper Craft (DPC).	संस्था को BA (Home Sc.) या B.Sc.(Home Sc.) की मान्यता हो।
34.	Diploma in Web Technology (DWT).	संस्था को कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों की मान्यता हो।
35.	Diploma in Applied Statistics and Computer (DASC).	संस्था को स्नातक स्तर पर गणित या सांख्यिकी की मान्यता हो।

प्रमाण-पत्र कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
36.	Certificate in Environment Science (CES). Certificate in Applied Criminology (CAC). Certificate in Women Empowerment and Development (CWED). Certificate Course in Yoga (CCY). Certificate in Goods & Services Tax (CGST). Certificate in Post Harvest Technology and Value Addition (CPHT&VA). Certificate in Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants (CCMAP). Certificate in Livestock Production System (CLPS). Certificate Programme in Gardening(CPIG). Certificate in Organic Farming (COF). Certificate in Nutrition and Food (CNF). Certificate in Child Care and Nutrition (CCCN). Certificate in Rural Journalism and Mass Communication (CRJMC). Certificate in Human Rights (CHR). Certificate in Waste Water Treatment (CWWT). Certificate in Natural Resources and Sustainable Development (CNSD). Certificate in Applied Statistics and Computer (CASC). Certificate in Carpet and Textile Technology (CCTT). Certificate in Fashion Designing (CFD). Certificate in Textile Designing (CTD). Certificate in Vadic Math's (CVM).	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
37.	Certificate in Computer Course(CCC). Certificate Course in Web Designing and Development (CCWD). Certificate Course in Linux Administration (CCLA).	संस्था को कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों की मान्यता हो।
38.	Certificate Course in Computer Animation (CCCA).	संस्था को कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक स्तर पर कार्यक्रम की मान्यता हो एवं 1. न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। 2. कार्यक्रम से सम्बन्धित साफ्टवेयर।
39.	Certificate in Forensic Science (CFS). Certificate Programme in Laboratory Techniques (CPLT). Certificate in Printing Technology (CPT).	संस्था को स्नातक में विज्ञान वर्ग के विषयों की संचालन की मान्यता हो।

जागरूकता कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
40.	Awareness Programme in Child Nutrition and Food (APCNF). Awareness Programme in Child Care and Nutrition (APCCN). Awareness Programme in Yoga (APY). Awareness Programme in Panchyati Raj (APPR). Awareness Programme in Dairy, Farming (APDF). Awareness Programme on Good Governance (APGG). Awareness Programme in Kumbh Darshan (APKD). Awareness Programme Anatyoday (APAY). Awareness Programme on Ekatam manavwad (APAM). Awareness Programme on Citizenship (Amendment) Act-2019 (APCAA). Awareness Programme on jammu and Kashmir (APJK). Awareness Programme on Share Market & Mutual Fund (APSMMF). Awareness Programme on Insurance & Banking (APIBS). Awareness Programme on COVID-19 (APC).	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।

विशेष :–

(i) B.Ed. एवं B.Ed.(Special Education) कार्यक्रमों हेतु मानकों का निर्धारण NCTE/RCI के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) MBA/MCA कार्यक्रमों के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त UGC, DEC, एवं AICTE की Joint Committee द्वारा संस्तुत दिशा–निर्देशों के अनुरूप समय–समय पर अतिरिक्त मानकों का निर्धारण किया जायेगा।

(iii) प्रसार कार्यक्रमों को Non-Credit कार्यक्रमों के रूप में संचालित किया जायेगा।

(iv) अध्ययन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(v) मानकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विसंगति होने की स्थिति में मा० कुलपति जी का अभिमत / निर्णय अंतिम होगा।

UPRTOU
अनुलग्नक–1

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ
इलाहाबाद–211021

दूरभाष सं. : **0532-2447035**
Website : www.uprtou.ac.in
E-mail : uprtou@yahoo.co.in
Fax No. : 0532-2447036

अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप
(दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा)

आवेदन शुल्क का विवरण

1. बैंक ड्राफ्ट संख्या ....
2. दिनांक ....
3. बैंक का नाम ....
4. धनराशि ....

1 महाविद्यालय / संस्था का नाम :

(i) (हिन्दी में).. i

(i) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)..

....

2 समिति / ट्रस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या एवं वैधता तिथि : ....

3 महाविद्यालय / संस्था का स्थापना वर्ष : ....

4 महाविद्यालय / संस्था का स्तर एवं स्थापना के उद्धेश्य : ....

5 पत्राचार का पूरा पता पिन कोड सहित :

(i) (हिन्दी में) ....

....

(ii) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)...

....

6 विश्वविद्यालय का नाम जिससे महाविद्यालय / संस्था सम्बद्ध हो :

(कुलाधिपति / शासन द्वारा निर्गत पत्र की फोटो कापी संलग्न की जाय)

....

7 महाविद्यालय / संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव / प्रबन्धक / निदेशक का नाम :

1	सचिव / प्रबन्धक / निदेशक का नाम	
2	दूरभाष संख्या	
3	फैक्स नं0	
4	मोबाइल नं0	
5	ई–मेल	

8 महाविद्यालय / संस्था के प्राचार्य का नाम :

1	प्राचार्य का नाम	
2	दूरभाष संख्या	
3	फैक्स नं0	
4	मोबाइल नं0	
5	ई–मेल	

9 प्रस्तावित समन्वयक का नाम, पदनाम, विभाग, दूरभाष एंव मोबाइल नं. :

1	समन्वयक का नाम	
2	पदनाम	
3	विभाग	
4	दूरभाष संख्या	
5	ई–मेल	
6	मोबाइल नं.	

10 अध्ययन केन्द्र कार्यालय तथा समन्वयक कक्ष के लिए क्या महाविद्यालय/संस्था में स्थान उपलब्ध है ? यदि हाँ तो उसका विवरण दिया जाय और भवन का मानचित्र संलग्न किया जाय :

क्र.सं.	नाम	संख्या
1	कार्यालय	
2	पुस्तकालय	
3	प्रयोगशाला	
4	कक्षाकक्ष	
5	अध्यापक कक्ष	

11 महाविद्यालय/संस्था के निकटतम :

क्र.सं.	स्थान का नाम	दूरी कि.मी. में
1	रेलवे स्टेशन का नाम एंव दूरी	
2	बस स्टेशन का नाम एंव दूरी	
3	पुलिस स्टेशन का नाम एंव दूरी	
4	डाकघर का नाम एंव दूरी	

12 अगर महाविद्यालय अथवा संस्था के कुछ विभाग स्ववित्तपोषित हैं तो इंगित किया जाय :

....

13 महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा संचालित वर्तमान पाठ्यक्रम :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शासन द्वारा सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित	क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शासन द्वारा सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित
1			5		
2			6		
3			7		
4			8		

14 यू0जी0सी0 के पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) :
"No university, whether central, state, private or deemed, can offer its programmes through franchising arrangement with private coaching institution even for the purpose of conducting courses through distance mode." के अनुपालनार्थ 20/- रूपये (बीस रूपये) के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर

पर संलग्न प्रारूप पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग नहीं प्रदान की जाती (संलग्नक संख्या–01)।

15 अगर महाविद्यालय/संस्था किसी विश्वविद्यालय का पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चला रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाय :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	
2.	

16 विषय एंव योग्यता सहित शिक्षकों की सूची (शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जाय) :

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	अध्यापन विषय	शिक्षक की नियुक्ति वर्ष	योग्यता
1				
2				

नोट :– शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर सूची अलग से संलग्न करें।

17 पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (विषयवार पुस्तकों एंव पत्र–पत्रिकाओं की संख्या भी दी जाय :

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	पुस्तकों की संख्या
1		
2		

18 कम्प्यूटर की उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (कम्प्यूटर लैब की आकार, कम्प्यूटर व प्रिन्टर आदि की संख्या इत्यादि) :

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या
1	कम्प्यूटर	
2	प्रिन्टर	
3	स्कैनर	

19 महाविद्यालय/संस्था में उपलब्ध इन्टरनेट/ब्राड बैन्ड कनेक्शन और जेनरेटर की सुविधा का विवरण :

क्र.सं.	नाम	विवरण
1	इण्टरनेट/ब्राड बैन्ड कनेक्शन का नाम एवं नम्बर	
2	जेनरेटर की क्षमता तथा संख्या	

20 अध्ययन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी महाविद्यालय अथवा संस्था की प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव। (संख्या एंव दिनांक का उल्लेख नीचे करें तथा प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।)

....

21 यू०पी०आर०टी०ओ०यू० के उन कार्यक्रमों का नाम जो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र परसंचालन हेतु वांछित है (प्रत्येक वांछित कार्यक्रम मुक्त विश्वविद्यालय के मानक/मापदण्ड के अनुसार हो) :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम/कार्यक्रम कोड
1	
2	

CIQA

22 अन्य प्रासंगिक सूचना : ....

23 संलग्नकों की सूची :

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1		4		7	
2		5		8	
3		6		9	

हस्ताक्षर प्राचार्य　　　　　　　　　　　　हस्ताक्षर प्रबन्धक／निदेशक

दिनांक :

नोट :-

1. सभी प्रविष्टियों की पूर्ण स्पष्ट और सही—सही जानकारी देना आवश्यक है तथा आवेदन—पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राचार्य／निदेशक／प्रबन्धक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
2. अपूर्ण आवेदन—पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा उसे निरस्त कर दिया जायेगा। एक बार निरस्त किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करना सम्भव नही है।
3. सूचना के पुष्टि हेतु मांगे गये संलग्नकों की नत्थी करना जरूरी है।
4. वांछित कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों और अन्य उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण विवरण अलग से संलग्न किया जाय।
5. महाविद्यालय／संस्था का संचालन करने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र और उसके संविधान की एक प्रति संलग्न की जाय।
6. स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का रू 1500／— और अन्य संस्थानों को रू. 7,500／— आवेदन／पंजीकरण शुल्क आवेदन—पत्र के साथ जमा करना होगा।
7. आवेदन—पत्र के क्रम संख्या 14 से सम्बन्धित महाविद्यालय／संस्थान द्वारा प्राइवेट कोचिंग संचालन न किये जाने का शपथ—पत्र (संलग्न प्रारूप पर) रू. 20／— के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कर अवश्य ही प्रस्तुत किया जाय।
8. मानक एवं मापदण्ड के क्रमांक पाँच में उल्लिखित संस्थाओं को रू 12,500／— जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में अध्ययन केन्द्र के अनुमोदन होने के बाद जमा करनी होगी।
9. बैंक ड्राफ्ट ''वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम व इलाहाबाद में देय होना चाहिए।
10. अध्ययन केन्द्र आवंटित करना या नहीं करने का निर्णय पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय के विवेकाधीन है।
11. मान्यता प्रदान करने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र का कभी भी निरीक्षण कराया जा सकता है एवं निरीक्षण के दौरान मानकों की पूर्ति न होने पर अध्ययन केन्द्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति के उपरान्त विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय／संस्था (अध्ययन केन्द्र) के बीच अनुबन्ध—पत्र (MoU) हस्ताक्षरित किया जायेगा।

शपथ-पत्र का प्रारूप

शपथ-पत्र

समक्ष – कुलसचिव,
उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

शपथ पूर्वक कहना है कि महाविद्यालय / संस्था ....विशुद्ध रूप से एक शैक्षिक संस्था है जिसमें उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित किये जाते है। महाविद्यालय / संस्था में पठन–पाठन हेतु किसी भी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग अथवा ट्यूशन का संचालन नहीं होता है और न ही भविष्य में किया जायेगा। यदि संस्था द्वारा भविष्य में प्राइवेट कोचिंग (Private Coaching) अथवा ट्यूशन (Tuition) के संचालन सम्बन्धी प्रमाणिक सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

प्रबन्धक — प्राचार्य / निदेशक

<u>नोट</u> : उपरोक्त शपथ–पत्र रू. 20 / – (बीस रूपये) के नानजूडीशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर आवेदन–पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

अनुलग्नक–3

UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY

SHANTIPURAM, SECTOR-F, PHAPHAMAU, ALLAHABAD - 211 021

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
between
U.P. Rajarshi Tandon Open University and the Study Centre

This agreement is made on___________(day) of____________ (month) ___________ (year) between U.P. Rajarshi Tandon Open University, Shantipuram, Sector-F, Phaphamau, Allahabad - 211 021 represented by the Registrar here-in-after referred to as 'UPRTOU' and this expression shall include the successors and assignees on one part and..(College/ Organization/Institute)____(address)___________ _________________(place) represented by its Principal/Director and Manager herein after called Host Institution and this expression shall include their successors and assignees on the other part.

Whereas the Host Institution has agreed to work as an approved Study Centre of the university and that UPRTOU agrees to permit the aforesaid Host Institution to run the Study Centre under the rules, regulations and norms laid down for such purposes.

1. The Host Institution undertakes to :

(i) Provide rooms (space) for exclusive use of UPRTOU centre without charging any rent.

(ii) Make available rooms for counselling sessions and also for University examinations in case the Study Centre is made an examination centre of UPRTOU.

(iii) Permit the use of its library, laboratories and other institutional facilities without charging any extra fees.

(iv) Help to generate awareness among public about UPRTOU and its programmes.

(v) Install a signboard of UPRTOU Study Centre prominently at the gate and other proper places.

(vi) Strictly adhere to the conditions laid down in the letter communicating the permission of the UPRTOU to establish a Study Centre in the Host Institution.

2. Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University (UPRTOU) undertakes to :

(i) Appoint a Co-ordinator recommended by the Principal/Director of the Host Institution.

(ii) Pay contingent charges to the Study Centre as per the norms of UPRTOU.

(iii) Pay honoraria and conveyance to the Co-ordinator of the Study Centre and Principal/Director of the Host Institution as per the norms of UPRTOU.

(iv) Appoint part time Assistant Co-ordinator approved by the university and pay to him/her honorarium and conveyance as per the norms of UPRTOU.

(v) Authorise the Principal/Director to appoint part time class III and class IV employees and other functionaries and pay them honoraria at the rate fixed by UPRTOU from time to time.

(vi) Pay honoraria and conveyance to the counsellors as per the norms of UPRTOU.

(vii) Pay contingent charges and other honoraria for holding UPRTOU examinations as per the norms of UPRTOU in case the Study Centre is made an examination centre of UPRTOU.

3. Under this memorandum of understanding, both the Host Institution and the University agree-

(i) That they shall have the right to terminate the MoU by mutual agreement.

Or;

(ii) That one month's notice shall be required to be served on the Host Institution if there are proven lapses on the part of Host Institution in terms of irregularities in admissions or/and counselling or/and finances or/and examinations etc.

Or;

(iii) That three months notice shall be required to be served on UPRTOU by the Host Institution.

Signed :

On behalf of the Host Institution :

(i) Head of Institution :

Name : ____________________

Designation : _______________

Date :______________________

Seal :_______________________

(ii) Manager of the Institution :

Name : ____________________

Designation : _______________

Date :______________________

Seal :_______________________

(iii) **Witness :**

Name : ____________________

Designation : ________________

Date :______________________

Seal :_______________________

On behalf of UPRTOU :

(i) **Registrar of UPRTOU**

Name : _______________________

Designation : ___________________

Date :_________________________

Seal :_________________________

(ii) **In-charge, Study Centre Cell :**

Name : _______________________

Designation : __________________

Date :_________________________

Seal :_________________________

(iii) **Witness :**

Name : _______________________

Designation : __________________

Date :________________________

Seal :_________________________

....

CIQA

उ.प्र.राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्कत् ॥